सत्यमेव जयते

महालेखाकार (ले व ह) केरल का कार्यालय, तिरुवनन्तपुरम-695 001

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), KERALA, THIRUVANANTHAPURAM - 695 001

P19/II/DRSSA-49/CG/2018-19

27/09/2018

To

All District/ Sub Treasury Officers

Sir,

Sub: 1.Revision of pension/family pension of pre 01/01/2016 retired pensioners/family pensioners of Chhattisgarh Govt.
2.Sanction of dearness relief on pension to pre 01/01/2016 retired/deceased pensioners of Chhattisgarh State @139% w.e.f. 01/07/2017.
3.Revised rates of dearness relief of retired/deceased State Government Pensioners under the Seventh Pay Scale @5% of Basic Pension/Family Pension w.e.f.01/07/2017.

Ref: 1.SSA No.PA/GI/Relief Order/141 dated.03/08/2018 of the office of the Accountant General (A&E), Chhattisgarh, Raipur.
2.Letter No.296/F 2017-41-03685-Fin.Rules/IV dated.06/07/2018 of the Department of Finance , Government of Chhattisgarh, Mantralaya, Mahanadi Bhavan, Raipur.
3.Letter No.259/F 2013-04-00416-Fin.Rules/IV dated.29/05/2018 of the Department of Finance , Government of Chhattisgarh, Mantralaya, Mahanadi Bhavan, Raipur.
4.Letter No.255/F 2013-04-00416-Fin.Rules/IV dated.29/05/2018 of the Department of Finance , Government of Chhattisgarh, Mantralaya, Mahanadi Bhavan, Raipur.

I am to enclose herewith copy of SSA received from the office of the Accountant General (A&E), Chhattisgarh, Raipur which encloses the above referred letters from the Department of Finance, Government of Chhattisgarh, Mantralaya, Mahanadi Bhavan, Raipur regarding the revision of pension/family pension, sanction of dearness relief @139% w.e.f.01/07/2017 and revised rates of dearness relief @5% of Basic Pension /Family Pension. The same is being placed in the official website of this office **(www.agker.cag.gov.in)** under the link "***Treaury endorsement of orders for other state pensioners***" . A copy of this letter may be exhibited on the notice board of the treasury.

Yours faithfully

27/9/18

Accounts Officer

Copy to:-

The Director of Treasuries
Thiruvananthapuram

Sd.

Accounts Officer

ई-मेल /Email: agaekerala@cag.gov.in फैक्स /Fax: 0471-2330242 टेलिफोन /Telephone: 0471-2776100
वेबसाइट /Website: http://www.agker.cag.gov.in

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़ रायपुर

पंजीकृत विशेष मूद्रा प्राधिकार

क्र.पी.ए. / सामान्य / राहत आदेश / PM/2/367/2018-19 दिनांक: 3 / 08 / 2018

प्रति,

01 वेतन एवं लेखा कार्यालय, पेंशन कार्यालय क्र–5, कोषालय भवन, तीज हज़ारी कोर्ट कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110124
02 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) आंध्र प्रदेश, सैफाबाद, हैदराबाद–500463
03 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) अरूणाचल प्रदेश, ईटा नगर–791111
04 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) असम, गुवाहाटी, मैदामगांव बेलटोला, गुवाहाटी–781029
05 महालेखाकार (लेखा एवं हक.)–।। बिहार, पटना, बीर चंद पटेल पथ, पटना–800001
06 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) गुजरात, अहमदाबाद ब्रांच, 'आडिट भवन', नवरंगपुरा, अहमदाबाद–380009
07 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हरियाणा, लेखा भवन, प्लॉट न.–4 एवं 5, सेक्टर 33–बी, चंडीगढ़–160047
08 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हिमाचल प्रदेश, गोरटोन कैसल बिल्डिंग, शिमला–171003
09 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) जम्मू कश्मीर, एग्ज़ीबीशन ग्राउन्ड के निकट, श्रीनगर–190009
10 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड, पी.ओ.–डोरंडा, राँची–834002
11 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) कर्नाटक, पार्क हाउस रोड, पो.बॉ.–5329 / 5369 बैंगलोर–560001
12 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) केरला, पो.बॉ.–5607, एम.जी. रोड, तिरूवनंथपुरम–695039
13 महालेखाकार (लेखा एवं हक.)–।। मध्य प्रदेश, लेखा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर–474002
14 महालेखाकार (लेखा एवं हक.), महाराष्ट्र, 101 महर्षि कारवे मार्ग, पुरानी सी.जी.ओ. बिल्डिंग, एन.मैरीन लाईन्स, मुंबई
15 महालेखाकार (लेखा एवं हक.)–।। महाराष्ट्र, सिविल लाईन्स, नागपुर–440001
16 वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मनिपुर, इम्फाल–795001
17 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मेघालय, शिलॉंग–793001
18 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मिज़ोरम, श्री बुआलहरंगा बिल्डिंग दिनथर, ऐज़वल–796001
19 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) नागालैंड, कोहिमा–797001
20 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) ओडीशा, भुवनेश्वर–751001
21 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पंजाब एवं चंडीगढ़, सेक्टर 17–ई, चंडीगढ़–160017
22 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) राजस्थान, जनपथ जयपुर–302005
23 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) सिक्किम, लेखा परीक्षा भवन देवराली पी.ओ.–टाडोंग, गंगटॉक–737102
24 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) तामिलनाडु, 361 अन्ना सलाई टेयनामपेट, चेन्नई–600018
25 वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) त्रिपुरा, पी.आ.–कुंजाभवन, अगरतला–799006
26 वरिष्ठ उप महालेखाकार (लोकल बॉडी लेखापरीक्षा एवं लेखा) उत्तराँचल, देहरादून ऑबेराय मोटर बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून–248171
27 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) उत्तर प्रदेश, 20, सरोजिनी नाईडु मार्ग, इलाहाबाद–211001
28 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) वेस्ट बेंगॉल, कोषालय भवन क्रमांक–2, गवर्नमेंट प्लेस (वेस्ट) कोलकता–700001
29 कन्ट्रोलर ऑफ अकाउन्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफैर्स, तीसरी मंजिल, अकबर भवन नई दिल्ली
30 डाईरेक्टर ऑफ अकाउन्ट्स, पेंशन अनुभाग, पानाजी, गोवा
31 डाईरेक्टर ऑफ अकाउन्ट्स एवं ट्रेजरी, पांडीचेरी सरकार, पांडीचेरी
32 प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), तेलंघाना, सैफाबाद, हैदराबाद–500463

200469 10/8/18

विषय: 1.दिनांक: 01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत पेंशन भोगियों/परिवार पेंशन भोगियों की पेंशन/परिवार पेंशन का पुनरीक्षण।

2.छत्तीसगढ़ राज्य के 1 जनवरी 2016 के पूर्व सेवानिवृत/मृत पेंशनरों को पेंशन पर महंगाई राहत स्वीकार करने के संबंध में।

3.सातवें वेतनमान के अंतर्गत सेवानिवृत/मृत राज्य शासन के पेंशनरों के महंगाई राहत की पुनरीक्षित दरें।

संदर्भ: छ.ग. शासन, वित्त विभाग,मंत्रालय,महानदी भवन,नया रायपुर का पत्र क्रमांक:

1.क्र.296/एफ 2017-41-03685/वि/नि/चार नया रायपुर, दिनांक:06.07.2018

2.क्रमांक: 259/एफ-2013-04-00416/वित्त/नियम/चार नया रायपुर, दिनांक:29.05.2018

3.क्रमांक: 255/एफ-2013-04-00416/वित्त/नियम/चार नया रायपुर, दिनांक:29.05.2018

संदर्भित निर्देशों, जो की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं, का पालन करने एवं अपने अधिनस्थ सभी कोषालयों एवं बैंकों को अपने स्तर से सूचित करने हेतु प्रेषित। कृपया इसकी पावती भेजने का कष्ट करें।

संलग्न: संदर्भित निर्देशों की प्रतियां।

लेखा अधिकारी / पी.ए.

क्र.पी.ए. / सामान्य / राहत आदेश / दिनांक: / 08 / 2018

1. छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्रों के संबंध में सूचनार्थ प्रेषित।

लेखा अधिकारी / पी.ए

FICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A & E)- CHHATTISGARH, RAIPUR

Registered Special Seal Authority

No. PA/Gl/Relief Order/ Dated 03.08.2018

12. Accountant General (A&E), Kerala, P. B. No.5607, M G Road, Thiruvananthapuram – 695 039

Sub :-
1. Revision of pension/family pension of pre 01.01.2016 retired pensioners/ family pensioners.
2. Sanction of dearness relief on pension to pre 01st January 2016 retired/ deceased pensioners of Chhattisgarh State.
3. Revised rates of dearness relief of retired / deceased State Government Pensioners under the Seventh Pay Scale.

Ref :- Government of Chhattisgarh, Department of Finance, Mantralaya, Mahanadi Bhavan, Raipur, letter nos. –
1. No. 296/F 2017-41-03685-Fin./Rules/IV , Naya Raipur, dated 06.07.2018
2. No. 259/F 2013-04-00416-Fin./Rules/IV , Naya Raipur, dated 29.05.2018
3. No. 255/F 2013-04-00416-Fin./Rules/IV , Naya Raipur, dated 29.05.2018

The above referred directives, which can also be downloaded from the website www.cgfinance.nic.in, are forwarded for adherence and for informing all your subordinate treasuries and banks at your level. Kindly acknowledge receipt.

Encl. : Copies of referred directives

Sd/-

Accounts Officer/PA

No. PA/Gl/Relief Order/ Dated

08.2018

Government of Chhattisgarh, Department of Finance, Mantralaya, Mahanadi Bhavan, Raipur, for information, with reference to their above referred letters.

Sd/-

Accounts Officer/PA

वित्त निर्देश 36/2018

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्र. 296/एफ 2017–41–03685/वि/नि/चार नया रायपुर, दिनांक 6 जुलाई 2018

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषयः–दिनांक 1.1.2016 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों/परिवार पेंशन भोगियों की पेंशन/परिवार पेंशन का पुनरीक्षण

राज्य शासन द्वारा दिनांक 1.1.2016 के पूर्व के शासकीय पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स को देय पेंशन/परिवार पेंशन के पुनरीक्षण का निर्णय लिया गया है। पेंशन/परिवार पेंशन का पुनरीक्षण निम्नानुसार किया जाएगाः–

(1) पेंशन/परिवार पेंशन का पुनरीक्षण, विद्यमान मूल पेंशन (पेंशन सारांशीकरण के पूर्व)/परिवार पेंशन को 2.57 के गुणक से गुणा करके तथा इस प्रकार से प्राप्त राशि को आगामी रूपये में पूर्णांकित कर किया जायेगा। उक्त गणना हेतु विद्यमान मूल पेंशन/परिवार पेंशन में मंहगाई राहत शामिल नहीं होगी। यह पुनरीक्षण दिनांक 1.4.2018 से प्रभावी किया जाए।

(2) पुनरीक्षित पेंशन में सारांशीकरण की राशि, यदि कोई शामिल हो तो मासिक संवितरण के समय इस राशि से सारांशीकरण की राशि को कम किया जायेगा।

(3) पेंशन/परिवार पेंशन की न्यूनतम राशि रूपये 7750/– प्रतिमाह होगी।

(4) वृद्ध पेंशनर/परिवार पेंशनरों के लिए निर्धारित पेंशन की वर्तमान व्यवस्था यथावत लागू रहेगी।

(5) सार्वजनिक क्षेत्र के उपकम/स्वशासी संस्था में स्थाई संविलियन के पश्चात् राज्य शासन से अलग से पेंशन एवं परिवार पेंशन प्राप्त होने की स्थिति में पेंशन/परिवार पेंशन का पुनरीक्षण उपरोक्तानुसार किया जायेगा।

(6) ऐसे प्रकरणों में जहां शासकीय सेवक द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपकम/स्वशासी संस्था में स्थाई संविलियन पर शत–प्रतिशत पेंशन को समर्पित करते हुए एकमुश्त राशि प्राप्त कर ली गई है तथा उसके पेंशन के 1/3 हिस्से के प्रत्यावर्तन का लाभ प्राप्त हुआ है, के मामलें में पेंशन/परिवार पेंशन के पुनरीक्षण के संबंध में पृथक से निर्णय लिया जायेगा।

2/ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से पेंशन/परिवार पेंशन आहरित कर रहे राज्य शासन के पेंशनरों की पेंशन का पुनरीक्षण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की पेंशन/परिवार पेंशन भुगतान शाखा (Paying Branch) द्वारा किया जावेगा तथा भुगतान योग्य राशि की प्रविष्टियॉं पेंशन भुगतान आदेश के दोनों भागों में की जावेंगी। कोषालयों/उपकोषालयों से पेंशन/परिवार पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों की पेंशन/परिवार पेंशन का पुनरीक्षण संबंधित पेंशन संवितरक अधिकारी द्वारा किया जावेगा।

3/ पेंशन संवितरण अधिकारी/सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक भुगतान शाखा, परिवार पेंशन को पुनरीक्षित करते समय सूक्ष्मता से जाँच करें कि परिवार पेंशन की बढ़ी हुई दर की तिथि के बाद भी यदि भुगतान बढ़ी दर से हो रहा हो तो परिवार पेंशन का भुगतान सामान्य दर से करें तथा अधिक भुगतान राशि को एरियर्स/राहत से समायोजित करें।

4/ पुनरीक्षित पेंशन/परिवार पेंशन का भुगतान माह अप्रैल 2018 की पेंशन (भुगतान मई 2018) से किया जाए। पुनरीक्षित पेंशन पर सातवें वेतनमान में स्वीकृत मंहगाई राहत दी जावे। पेंशन/परिवार पेंशन पर देय मंहगाई राहत के आदेश पृथक से जारी किए गए है।

5/ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की भुगतान शाखा (Paying Branch) द्वारा पुनरीक्षित की गई पेंशन/परिवार पेंशन के 10 प्रतिशत प्रकरणों का test audit संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन/जिला कोषालय अधिकारी द्वारा किया जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

06/02/2018

(एस.के. चक्रवर्ती)
संयुक्त सचिव

पृ.क. 297/एफ 2017-41-03685/वित्त/नियम/चार नया रायपुर, दिनांक 6 जुलाई, 2018

प्रतिलिपि-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
3. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ, उच्च न्यायालय बोदरी, पोस्ट ऑफिस-हाई कोर्ट ब्रांच, बिलासपुर (छ0ग0) पिन कोड-495220
5. सचिव, लोक आयोग / छ.ग., लोक सेवा आयोग / मानवाधिकार आयोग / राज्य निर्वाचन आयोग / राज्य सूचना आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर
6. निज सचिव / निज सहायक, मंत्री, छत्तीसगढ़ नया रायपुर
7. महाधिवक्ता / उप महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़, बिलासपुर
8. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर को सूचनार्थ
9. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर
10. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ नया रायपुर
11. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, छ0ग0, नया रायपुर
12. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली
13. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग स्थापना / अधीक्षण / अभिलेख / मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर
14. समस्त अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, नया रायपुर
15. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छ.ग.
16. समस्त कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़
17. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़
18. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी / पेंशनर्स संगठन एवं समस्त सदस्य पेंशनर कल्याण मंडल, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर, छत्तीसगढ़
20. मुख्य लेखाधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, गवर्नमेंट एण्ड बैंक एकाऊण्ट डिपार्टमेंटस, सी-7, बान्द्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स, पोस्ट बैग नं. 8143, बान्द्रा (पूर्व) मुंबई 400051
21. समस्त मुख्य प्रबंधक/उप महाप्रबंधक/जोनल मैनेजर/चीफ मैनेजर/सहायक मुख्य प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़
22. वित्त सचिव, गुजरात शासन, मंत्रालय, गांधीनगर, गुजरात 382010
23. वित्त सचिव, आन्ध्र प्रदेश शासन, मंत्रालय, हैदराबाद 500001
24. वित्त सचिव, असम शासन, मंत्रालय, शिलांग 793001
25. वित्त सचिव, बिहार शासन, मंत्रालय, पटना 800001
26. वित्त सचिव, झारखण्ड शासन, मंत्रालय, रांची 834001
27. वित्त सचिव, केरल शासन, मंत्रालय, तिरूवनन्तपुरम 695039

28. वित्त सचिव, तमिलनाडु शासन, मंत्रालय, चेन्नई 600018
29. वित्त सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 400020
30. वित्त सचिव, कर्नाटक शासन, मंत्रालय, बैंगलोर 560001
31. वित्त सचिव, उड़ीसा शासन, मंत्रालय, भुवनेश्वर 751001
32. वित्त सचिव, पंजाब शासन, मंत्रालय, चंडीगढ़ 160017
33. वित्त सचिव, हिमाचल प्रदेश शासन, मंत्रालय, शिमला 171003
34. वित्त सचिव, राजस्थान शासन, मंत्रालय, जयपुर 302001
35. वित्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, मंत्रालय, लखनऊ 226001
36. वित्त सचिव, पश्चिम बंगाल शासन, मंत्रालय, कोलकाता 700001
37. वित्त सचिव, जम्मू एवं कश्मीर शासन, मंत्रालय, श्रीनगर 190001
38. वित्त सचिव, मणिपुर शासन, मंत्रालय, इम्फाल 795001
39. वित्त सचिव, त्रिपुरा शासन, मंत्रालय, अगरतला 799001
40. वित्त सचिव, नागालैण्ड शासन, मंत्रालय, कोहिमा 797001
41 वित्त सचिव, मेघालय शासन, मंत्रालय, शिलोंग 793001
42 वित्त सचिव, मिजोरम शासन, मंत्रालय, एजवाल 796001
43. वित्त सचिव, सिक्किम शासन, मंत्रालय, गंगटोक 717101
44. वित्त सचिव, उत्तरांचल शासन, मंत्रालय, देहरादून 248001
45. वित्त सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल 462004
46. वित्त सचिव, तेलंगाना शासन, मंत्रालय, हैदराबाद 500001
47. वित्त सचिव, हरियाणा शासन, मंत्रालय, चंडीगढ़ 160017
48. वित्त सचिव, दिल्ली शासन, मंत्रालय, नई दिल्ली 110001
49. वित्त सचिव, गोवा दमन एवं दीव शासन, मंत्रालय पणजी, गोवा 403101
50. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) गुजरात, 5वीं मंजिल, सी-ब्लाक, लाल दरवाजा, अहमदाबाद 380001
51. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) गुजरात, राजकोट 360001
52. महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) आन्ध्रप्रदेश, हैदराबाद 500463
53. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) आन्धप्रदेश, हैदराबाद 500463
54. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मेघालय, मिजोरम, अरूणाचल प्रदेश, शिलांग 793001
55. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मणिपुर, इम्फाल 795001
56. प्रधान महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) बिहार, बीरचंद पटेल मार्ग, पटना 800001
57. प्रधान महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) झारखण्ड, डोरण्डा, पो. रांची 834002
58. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) केरल, पो. बाक्स नं. 5607, तिरूवनन्तपुरम 695039
59. महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) तमिलनाडु, चेन्नई 600018
60. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) तमिलनाडु, चेन्नई 600018
61. महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, 101 महर्षि कर्वे रोड़, मुंबई 400020

62. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, सिविल लाईन्स, नागपुर 440000
63. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) कर्नाटक, रेसीडेन्सी पार्क रोड़, बैंगलोर 560002
64. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) उड़ीसा, भुवनेश्वर 751001
65. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पंजाब, चंड़ीगढ़ 160017
66. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हरियाणा, लेखा भवन, चंडीगढ़ 160047
67. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हिमाचल प्रदेश, गोर्टन कंसल भवन शिमला 171003
68. महालेखाकार, (लेखा एवं हक.) राजस्थान, भगवानदास मार्ग जयपुर 302001
69. महालेखाकार-3 (लेखा एवं हक) उत्तरप्रदेश, लखनऊ 226001
70. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) उत्तरप्रदेश, इलाहाबाद 211001
71. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक) पश्चिम बंगाल, ट्रेजरी विल्डिंग, कोलकाता 700001
72. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) जम्मू एवं कश्मीर, श्रीनगर 190001
73. महालेखाकार (लेखा एवं हक) त्रिपुरा, अगरतला 799001
74. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) नागालैण्ड, कोहिमा 797001
75. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) सिक्किम, लाकार भवन, गंगटोक 717101
76. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) उत्तराखण्ड, देहरादूर 248001
77. संचालक, लेखा (पेंशन शाखा) गोवा, दमन दीव, पोस्ट पणजी, 403101
78. महालेखागार (लेखा एवं हक.) मध्यप्रदेश ग्वालियर 474001
79. वेतन एवं लेखाधिकारी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप, पोर्टब्लेयर 744011
80. वेतन एवं लेखाधिकारी, तीस हजारी, दिल्ली 110006
81. मुख्य नियंत्रक एवं महालेखाकार, भारत सरकार, नई दिल्ली
82. नियंत्रक लेखा, विदेश मंत्रालय, केन्द्रीय सचिवालय, नई दिल्ली

-को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु

83. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in पर अपलोड करने हेतु

संयुक्त सचिव
वित्त विभाग

Finance Directive 36/2018

Government of Chhattisgarh
Department of Finance
Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Naya Raipur

No.296/F 2017-41-03685/Fin./Rules/IV **Naya Raipur, dated 06 July, 2018**

To

All Departments of Government
Chairman, Revenue Division, Bilaspur
All Heads of Departments
All Divisional Commissioners
All Districts Collectors
Chhattisgarh

Sub :- Revision of pension/family pension of pre 01.01.2016 retired pensioners/family pensioners.

****

Decision has been taken by the State Government regarding revision of pension/family pension payable to pre 01.01.2016 Government pensioners/ family pensioners. Pension/family pension will be revised as below :

(1) Revision of pension/family pension shall be done my multiplying the existing basic pension (prior to commutation of pension) with a factor of 2.57 and rounding off the resulting amount to next rupee. For the above calculation, dearness relief shall not be included in existing basic pension/family pension. This revision shall be made effective from 01.04.2018.

(2) If any amount of commutation is included in the revised pension, the amount of commutation shall be reduced from this amount at the time of monthly disbursement.

(3) Minimum amount of pension/family pension shall be Rs.7750/- p.m.

(4) The existing arrangement of pension fixed for old age pensioners/family pensioners shall be duly applicable.

(5) In case of receiving pension/family pension from the State Government separately after permanent absorption in Public Sector Undertaking/Self Governing Institutions, revision of pension/family pension shall be done as above.

(6) In such cases where the Government Servant has surrendered 100 percent of pension on permanent absorption in Public Sector Undertaking/Self Governing Institutions and received lump sum amount and received the benefit of restoration of 1/3 part of his/her pension, decision regarding revision of pension/ family pension will be taken separately.

2. Revision of pension of State Government pensioners drawing pension/family pension from Public Sector Banks shall be done by the Pension/Family Pension Paying Branch of the Public Sector Bank and entries of payable amount shall be made on both halves of Pension Payment Order. Revision of pension/family pension of pensioners receiving pension/family pension from treasuries/ sub treasuries shall be done by the concerned Pension Disbursement Officer.

3. While revising family pension, the Pension Disbursement Officer/Paying Branch of Public Sector Bank shall thoroughly check that if payment of family pension is being made at increased rate even after the date of increased rate of family pension, payment of family pension shall be made at ordinary rate and amount of excess payment shall be adjusted from the arrears/relief.

4. Payment of revised pension/family pension may be made from the pension for the month of April 2018 (Payment May 2018). Dearness relief sanctioned in Seventh Pay Commission shall be given on revised pension. Orders of dearness relief payable on pension/ family pension has been issued separately.

5. Test audit of 10 percent cases of pension/family pension revised by the Paying Branch of Public Sector Banks shall be done by the Divisional Joint Director, Treasuries, Accounts & Pension/District Treasury Officer.

In the name and by the orders
of the Governor of Chhattisgarh
Sd/-
(S K Chakravarty)
Joint Secretary

Endt No. 297/F 2017-41-03685/Fin./Rules/IV **Naya Raipur, dated 06 July, 2018**

Copy to:-

58. The Accountant General (A&E) Kerala, P. B No. 5607, Thiruvananthapuram - 695039.

Sd/-
Joint Secretary
Dept of Finance

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
FINANACE DEPARTMENT
MANTRALAYA, MAHANADI BHAVAN, NAYA RAIPUR

No.259/F-2013-04-00416/Fin./Rule/IV, Naya Raipur, Dated 29 May, 2018

To,

All Department of Government
The President of Board of Revenue, Bilaspur
All Heads of Department
All Commissioners of Divisions
All Collectors
Chhattisgarh.

Sub - Sanction of dearness relief on the Pension of the Pensioners of the State of Chhattisgarh retired/died before 1st January 2016

The State Government had sanctioned 136 % dearness relief w.e.f. 01-01-2017 on pension/family pension to their pensioners/family pensioners vide Finance Department Memo No. 285/F-2013-04-00416/Fin/Rule/IV, dated 21 June, 2017. The State Government has now decided that the dearness relief admissible to pensioners should be sanctioned as given below. The additional pension payable to old pensioners shall also qualify for dearness relief.

Period	Rate of Dearness relief per month
w.e.f. 01-07-2017	139% of Pension/family pension

2. The amount of enhanced dearness relief shall be paid in cash from the pension of May 2018 (Payable on June 2018). Decision regarding payment of arrear shall be taken seperately.

3. The above dearness relief shall be payable on the Superannuation, Retiring, Invalid and Compensation Pension. This dearness relief shall also be payable on the Compassionate Allowance sanctioned to the employees discharged or removed from service and the said dearness relief shall also be payable to persons receiving family pension and extra ordinary pension under the restrictions contained in the Finance Department's Memo No. F.B.6/43/76/R-II/IV, dated 5-10-76. The dearness relief on the pension/family pension shall not be payable in the cases where the pensioner/family pensioners are appointed/re-appointed under the State Government or autonomous institutions. This relief on family pension shall be payable in cases where a person at the time of the death of the spouse was in service and was not appointed on compassionate grounds. This relief on family pension shall not be

payable in cases where a person on account of the death of the spouse has been appointed on compassionate grounds. In this connection attention is invited to the provisions contained in Finance Department's Memo No. F.B.6/10/76/R-II/IV, dated 27-7-76 read with Memo No. F.B.6/10/77/R-II/IV, dated 2-5-77 and Memo No. 211/379/F/R/IV/2007, dated 24-7-2007.

4. Pensioners, who have commuted a part of their pension, shall be paid the dearness relief on their original pension (pension before commutation).

5. This order shall be applicable in respect of State Government employees who had drawn lump sum amount on absorption in PSU/Autonomous body/Board/Corporation etc and have become eligible to restoration of 1/3rd commuted portion of pension in terms of this Department's Memo No. 144/97/F/R/IV/2007, dated 05-06-2007.

6. Fraction of rupees of the amount to be paid as dearness relief shall be rounded off to the next rupee.

7. All Treasury Officers/Sub Treasury Officers/Pension Disbursing Officers are directed to make payment of the above sanctioned dearness relief to State Government Pensioners early, keeping in view the amended provisions of S.R.347 of the C.G.T.C. Volume-1, issued vide Finance Department's endorsement No. E-4/1/83/R-V/IV, dated 29th January, 1983. After payment of dearness relief the same may be got checked from the usual payment authority received from the Accountant General, Chhattisgarh. If some inaccuracy/discrepancy comes to the notice, the same may be adjusted in the payment on next month.

By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh

(S.K. Chakraborty)
Joint Secretary

पृ.क. 360/एफ-2013-04-00416/वित्त/नियम/चार नया रायपुर, दिनांक 29 मई, 2018

प्रतिलिपि-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
3. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ, उच्च न्यायालय बोदरी, पोस्ट ऑफिस-हाई कोर्ट ब्रांच, बिलासपुर (छ0ग0) पिन कोड-495220
5. सचिव, लोक आयोग / छ.ग., लोक सेवा आयोग / मानवाधिकार आयोग / राज्य निर्वाचन आयोग / राज्य सूचना आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर
6. निज सचिव / निज सहायक, मंत्री, छत्तीसगढ़ नया रायपुर
7. महाधिवक्ता / उप महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़, बिलासपुर
8. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर को सूचनार्थ
9. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर
10. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ नया रायपुर
11. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, छ0ग0, नया रायपुर
12. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली
13. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग स्थापना / अधीक्षण / अभिलेख / मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर
14. समस्त अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, नया रायपुर
15. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छ.ग.
16. समस्त कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़
17. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़
18. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी / पेंशनर्स संगठन एवं समस्त सदस्य पेंशनर कल्याण मंडल, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर, छत्तीसगढ़
20. मुख्य लेखाधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, गवर्नमेंट एण्ड बैंक एकाऊण्ट डिपार्टमेंटस, सी-7, बान्द्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स, पोस्ट बैग नं. 8143, बान्द्रा (पूर्व) मुंबई 400051
21. समस्त मुख्य प्रबंधक/उप महाप्रबंधंक/जोनल मैनेजर/चीफ मैनेजर/सहायक मुख्य प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़
22. वित्त सचिव, गुजरात शासन, मंत्रालय, गांधीनगर, गुजरात 382010
23. वित्त सचिव, आन्ध्र प्रदेश शासन, मंत्रालय, हैदराबाद 500001
24. वित्त सचिव, असम शासन, मंत्रालय, शिलांग 793001
25. वित्त सचिव, बिहार शासन, मंत्रालय, पटना 800001
26. वित्त सचिव, झारखण्ड शासन, मंत्रालय, रांची 834002
27. वित्त सचिव, केरल शासन, मंत्रालय, तिरूवनन्तपुरम 695039

28. वित्त सचिव, तमिलनाडु शासन, मंत्रालय, चेन्नई 600018
29. वित्त सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 400020
30. वित्त सचिव, कर्नाटक शासन, मंत्रालय, बैंगलोर 560001
31. वित्त सचिव, उड़ीसा शासन, मंत्रालय, भुवनेश्वर 751001
32. वित्त सचिव, पंजाब शासन, मंत्रालय, चंडीगढ़ 160017
33. वित्त सचिव, हिमाचल प्रदेश शासन, मंत्रालय, शिमला 171003
34. वित्त सचिव, राजस्थान शासन, मंत्रालय, जयपुर 302001
35. वित्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, मंत्रालय, लखनऊ 226001
36. वित्त सचिव, पश्चिम बंगाल शासन, मंत्रालय, कोलकाता 700001
37. वित्त सचिव, जम्मू एवं कश्मीर शासन, मंत्रालय, श्रीनगर 190001
38. वित्त सचिव, मणिपुर शासन, मंत्रालय, इम्फाल 795001
39. वित्त सचिव, त्रिपुरा शासन, मंत्रालय, अगरतला 799001
40. वित्त सचिव, नागालैण्ड शासन, मंत्रालय, कोहिमा 797001
41 वित्त सचिव, मेघालय शासन, मंत्रालय, शिलांग 793001
42 वित्त सचिव, मिजोरम शासन, मंत्रालय, एजवाल 796001
43. वित्त सचिव, सिक्किम शासन, मंत्रालय, गंगटोक 717101
44. वित्त सचिव, उत्तरांचल शासन, मंत्रालय, देहरादून 248001
45. वित्त सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल 462004
46. वित्त सचिव, तेलंगाना शासन, मंत्रालय, हैदराबाद 500001
47. वित्त सचिव, हरियाणा शासन, मंत्रालय, चंडीगढ़ 160017
48. वित्त सचिव, दिल्ली शासन, मंत्रालय, नई दिल्ली 110001
49. वित्त सचिव, गोवा दमन एवं दीव शासन, मंत्रालय पणजी, गोवा 403101
50. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) गुजरात, 5वीं मंजिल, सी-ब्लाक, लाल दरवाजा, अहमदाबाद 380001
51. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) गुजरात, राजकोट 360001
52. महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) आन्ध्रप्रदेश, हैदराबाद 500463
53. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) आन्धप्रदेश, हैदराबाद 500463
54. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मेघालय, मिजोरम, अरूणाचल प्रदेश, शिलांग 793001
55. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मणिपुर, इम्फाल 795001
56. प्रधान महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) बिहार, बीरचंद पटेल मार्ग, पटना 800001
57. प्रधान महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) झारखण्ड, डोरण्डा, पो. रांची 834002
58. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) केरल, पो. बाक्स नं. 5607, तिरूवनन्तपुरम 695039
59. महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) तमिलनाडु, चेन्नई 600018
60. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) तमिलनाडु, चेन्नई 600018
61. महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, 101 महर्षि कर्वे रोड़, मुंबई 400020

62. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, सिविल लाईन्स, नागपुर 440000
63. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) कर्नाटक, रेसीडेन्सी पार्क रोड़, बैंगलोर 560002
64. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) उड़ीसा, भुवनेश्वर 751001
65. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पंजाब, चंड़ीगढ़ 160017
66. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हरियाणा, लेखा भवन, चंडीगढ़ 160047
67. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हिमाचल प्रदेश, गोर्टन कंसल भवन शिमला 171003
68. महालेखाकार, (लेखा एवं हक.) राजस्थान, भगवानदास मार्ग जयपुर 302001
69. महालेखाकार-3 (लेखा एवं हक) उत्तरप्रदेश, लखनऊ 226001
70. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) उत्तरप्रदेश, इलाहाबाद 211001
71. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक) पश्चिम बंगाल, ट्रेजरी विल्डिंग, कोलकाता 700001
72. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) जम्मू एवं कश्मीर, श्रीनगर 190001
73. महालेखाकार (लेखा एवं हक) त्रिपुरा, अगरतला 799001
74. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) नागालैण्ड, कोहिमा 797001
75. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) सिक्किम, लाकार भवन, गंगटोक 717101
76. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) उत्तराखण्ड, देहरादून 248001
77. संचालक, लेखा (पेंशन शाखा) गोवा, दमन दीव, पोस्ट पणजी, 403101
78. महालेखागार (लेखा एवं हक.) मध्यप्रदेश ग्वालियर 474001
79. वेतन एवं लेखाधिकारी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप, पोर्टब्लेयर 744011
80. वेतन एवं लेखाधिकारी, तीस हजारी, दिल्ली 110006
81. मुख्य नियंत्रक एवं महालेखाकार, भारत सरकार, नई दिल्ली
82. नियंत्रक लेखा, विदेश मंत्रालय, केन्द्रीय सचिवालय, नई दिल्ली
83. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in पर अपलोड करने हेतु

-------को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु

(अतुल कुलश्रेष्ठ)
शोध अधिकारी

शासकीय मुद्रणालय, नया रायपुर-486-06/2018-2000.

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
FINANACE DEPARTMENT
MANTRALAYA, MAHANADI BHAVAN, NAYA RAIPUR

No. 255 /F-2013-04-00416/Fin./Rule/IV. Naya Raipur, Dated 29 May, 2018

To,

All Department of Government
The President of Board of Revenue, Bilaspur
All Heads of Department
All Commissioners of Divisions
All Collectors
Chhattisgarh.

Sub - Revised rate of dearness relief to State Government pensioners retired/died in Seventh pay scale

---

The State Government had sanctioned 4% dearness relief w.e.f. 01.01.2017 on pension/family pension to their pensioners/family pensioners vide Finance Department Memo No. 505/F 2013-04-00416/Fin./Rule/IV, dated 13 December 2017. The State Government has now decided that the dearness relief admissible to pensioners should be sanctioned as given below. The additional pension payable to old pensioners shall also qualify for dearness relief.

Date from which payable	Rate of Dearness Relief per month
From 01.07.2017	5% of Basic Pension/Family Pension

2. The amount of enhanced dearness relief shall be paid in cash from the pension of May 2018 (Payable on June 2018). Decision regarding payment of arrear shall be taken seperately.

3. The above dearness relief shall be payable on the Superannuation, Retiring, Invalid and Compensation Pension. This dearness relief shall also be payable on the Compassionate Allowance sanctioned to the employees discharged or removed from service and the said dearness relief shall also be payable to persons receiving family pension and extra ordinary pension under the restrictions contained in the Finance Department's Memo No. F.B.6/43/76/R-II/IV, dated 5-10-76. The dearness relief on the pension/family pension shall not be payable in the cases where the pensioner/family pensioners are appointed/re-appointed

under the State Government or autonomous institutions. This relief on family pension shall be payable in cases where a person at the time of the death of the spouse was in service and was not appointed on compassionate grounds. This relief on family pension shall not be payable in cases where a person on account of the death of the spouse has been appointed on compassionate grounds. In this connection attention is invited to the provisions contained in Finance Department's Memo No. F.B.6/10/76/R-II/IV, dated 27-7-76 read with Memo No. F.B.6/10/77/R-II/IV, dated 2-5-77 and Memo No. 211/379/F/R/IV/2007, dated 24-7-2007.

4. Pensioners, who have commuted a part of their pension, shall be paid the dearness relief on their original pension (pension before commutation).

5. Fraction of rupees of the amount to be paid as dearness relief shall be rounded off to the next rupee.

6. All Treasury Officers/Sub Treasury Officers/Pension Disbursing Officers are directed to make payment of the above sanctioned dearness relief to State Government Pensioners early, keeping in view the amended provisions of S.R.347 of the C.G.T.C. Volume-1, issued vide Finance Department's endorsement No. E-4/1/83/R-V/IV, dated 29th January, 1983. After payment of dearness relief the same may be got checked from the usual payment authority received from the Accountant General, Chhattisgarh. If some inaccuracy/discrepancy comes to the notice, the same may be adjusted in the payment on next month.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh

25/5/2012

(S. K. Chakraborty)
Joint Secretary

पृ.क. 256/एफ–2013–04–00416/वित्त/नियम/चार नया रायपुर, दिनांक 29.5.2017

प्रतिलिपि–

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ, उच्च न्यायालय बोदरी, पोस्ट ऑफिस–हाई कोर्ट ब्रांच, बिलासपुर (छ0ग0) पिन कोड–495220
5. सचिव, लोक आयोग/छ.ग., लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग / राज्य सूचना आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री (समस्त) मंत्रालय, नया रायपुर
7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़, बिलासपुर
8. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर को सूचनार्थ
9. मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर
10. प्रमुख सचिव, वित्त के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय, नया रायपुर
11. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ नया रायपुर
12. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, छ0ग0, नया रायपुर
13. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली
14. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर
15. समस्त अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छ.ग.
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/इन्द्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़
19. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी /पेंशनर्स संगठन एवं समस्त सदस्य पेंशनर कल्याण मंडल, छत्तीसगढ़
20. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर, छत्तीसगढ़
21. मुख्य लेखाधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक,गवर्नमेंट एण्ड बैंक एकाऊण्ट डिपाटमेंट, सी–7 बान्द्रा, कुर्ला काम्प्लेक्स, पोस्ट बाक्स न. (पूर्व) मुंबई
22. समस्त मुख्य प्रबंधक/उप महाप्रबंधक/जोनल मैनेजर/चीफ मैनेजर/सहायक मुख्य प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़
23. वित्त सचिव, गुजरात शासन, मंत्रालय, गांधीनगर 382010
24. वित्त सचिव, आन्ध्र प्रदेश शासन, मंत्रालय, हैदराबाद 500001
25. वित्त सचिव, आसाम शासन, मंत्रालय, शिलांग 793001
26. वित्त सचिव, बिहार शासन, मंत्रालय, पटना 800001
27. वित्त सचिव, झारखण्ड शासन, मंत्रालय, रांची 834002
28. वित्त सचिव, केरल शासन, मंत्रालय, तिरूवनन्तपुरम 695039
29. वित्त सचिव, तमिलनाडू शासन,मंत्रालय, चेन्नई 600018
30. वित्त सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 400020
31. वित्त सचिव, कर्नाटक शासन, मंत्रालय, बैंगलोर 560001
32. वित्त सचिव, उड़ीसा शासन, मंत्रालय, भूवनेश्वर 751001
33. वित्त सचिव, पंजाब शासन, मंत्रालय, चंड़ीगढ़ 160017
34. वित्त सचिव, हरियाणा शासन, मंत्रालय, चंड़ीगढ़ 160017
35. वित्त सचिव, हिमाचल प्रदेश शासन, मंत्रालय, शिमला 171003

36. वित्त सचिव, राजस्थान शासन, मंत्रालय, जयपुर 302001
37. वित्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, मंत्रालय, लखनऊ 226001
38. वित्त सचिव, पश्चिम बंगाल शासन, मंत्रालय, कोलकाता 700001
39. वित्त सचिव, जम्मू एवं कश्मीर शासन, मंत्रालय, श्रीनगर 190001.
40. वित्त सचिव, मणिपुर शासन, मंत्रालय, इम्फाल 795001
41. वित्त सचिव, त्रिपुरा शासन, मंत्रालय, अगरतला 799001
42. वित्त सचिव, नागालैण्ड शासन, मंत्रालय, कोहिमा 797001
43. वित्त सचिव, दिल्ली शासन, मंत्रालय, नई दिल्ली 110001
44. वित्त सचिव, गोवा दीव एवं दमन शासन, मंत्रालय पणजी गोवा 403101
45. वित्त सचिव, सिक्किम शासन, मंत्रालय, गंगटोक 717101
46. वित्त सचिव, उत्तरांचल शासन, मंत्रालय, देहरादून 248001
47. वित्त सचिव, मध्य प्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल 462004
48. महालेखाकार (लेखा/हक.) गुजरात, 5वीं मंजिल सी–ब्लाक,लाल दरवाजा, अहमदाबाद 380001
49. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) गुजरात, राजकोट 360001
50. महालेखाकार–1 (लेखा एवं हक.) आन्ध्रप्रेदश, हैदराबाद 500463
51. महालेखाकार–2 (लेखा एवं हक.) आन्धप्रदेश, हैदराबाद 500463
52. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मेंघालय, मिजोरम, अरूणाचल प्रदेश, शिलांग 793001
53. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मणिपुर, इम्फाल 795001
54. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) बिहार, बीरचंद्र पटेल मार्ग पटना 800001
55. प्रधान महालेखाकार–1(लेखा एवं हक.) झारखण्ड, डोरण्डा पो. रांची 834002
56. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) केरल पो. बाक्स न. 5607,तिरूवनन्तपुरम 695039
57. महालेखाकार–1 (लेखा एवं हक.) तमिलनाडू, चेन्नई 600018
58. महालेखाकार–2 (लेखा एवं हक.) तमिलनाडू, चेन्नई 600018
59. महालेखाकार–1 (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, महर्षि कर्वे रोड़, मुंबई 400020
60. महालेखाकार–2 (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, सिविल लाईन्स, नागपुर 440001
61. महालेखाकार–2 (लेखा एवं हक.) कर्नाटक, रेसीडेन्सी पार्क रोड़, बैंगलोर 560002
62. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) उड़ीसा, भुवनेश्वर 751001
63. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पंजाब, चंड़ीगढ़ 160017
64. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हरियाणा, लेखा भवन, चड़ीगढ़ 160047
65. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हिमाचल प्रदेश, गोर्टन कंसल भवन शिमला 171003
66. महालेखाकार, (लेखा एवं हक.) राजस्थान, भगवानदास मार्ग, जयपुर 302001
67. महालेखाकार–3 (लेखा एवं हक) उत्तरप्रदेश, लखनऊ 226001
68. महालेखाकार–2 (लेखा एवं हक.) उत्तरप्रदेश, इलाहाबाद 211001
69. प्रमुख महालेखाकार–2 (लेखा एवं हक) पश्चिम बंगाल, ट्रेजरी विल्डिंग कोलकाता 700001
70. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) जम्मू एवं कश्मीर, श्रीनगर 190001
71. वरिष्ठ महालेखाकार (लेखा एवं हक) त्रिपुरा, अगरतला 799001
72. वरिष्ठ उप महालेखाकार,(लेखा एवं हक.) नागालैण्ड,कोहिमा 797001
73. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) सिक्किम लाकार भवन गंगटोक 717101
74. संचालक, लेखा (पेंशन शाखा) गोवा दमन दीव पोस्ट पणजी गोवा 403101
75. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) उत्तराखण्ड, देहरादूर 248001
76. संचालक, लेखा (पेंशन शाखा) गोवा दमन द्वीव, पो. पणजी 403101

77. वेतन एवं लेखा अधिकारी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप, पोर्टब्लेयर 744011
78. वेतन एवं लेखा अधिकारी क्रमांक 5 (पेंशन) तीस हजारी, दिल्ली 110006
79. मुख्य नियंत्रक एवं महालेखाकार, भारत सरकार, नई दिल्ली 110001
80. नियंत्रक लेखा, विदेश मंत्रालय, केन्द्रीय सचिवालय, नई दिल्ली 110001
81. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) ग्वालियर, मध्यप्रदेश
82. संचालक, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, भोपाल
83. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(अतुल कुलश्रेष्ठ)
शोध अधिकारी

शासकीय मुद्रणालय, नया रायपुर-486-06/2018-2000.